न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ **(R.A.S.)**

प्रकरण संख्याः – 167/2023 प्रार्थना पत्र

GCMS No. - 2023/539

1. श्री बाबुलाल पिता मांगु जाति गुर्जर आयु 50 साल निवासी नवाबपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. श्री गोरीलाल पिता मांगु जाति गुर्जर आयु 76 साल निवासी नवाबपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रार्थीगण

//बनाम//

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम– 1956

उपस्थित :– 1. श्री रामचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थीगण

:: निर्णय ::

दिनांक :– 29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा सरथल पटवार हल्का टाई तहसील निम्बाहेड़ा में नवीन खाता संख्या 52 की आराजी नम्बर 362/466 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 369 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 370 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 372 रकबा 0.0600 हैक्टयर, आराजी नम्बर 442 रकबा 0.7300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 442/463 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता– 6 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर कुल लगान 30.04 रूपये वाके स्थित हैं।

2. यह कि पूर्व में उक्त आराजियात तत्कालीन खातेदार यानि प्रार्थीगण के पिता श्री मांगु गुर्जर निवासी नवाबपुरा तहसील निम्बाहेड़ा के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में स्थित थी। प्रार्थीगण के बालिग दर्ज होने के इन्द्राज रोटेशन 2045 से 48 में खाता संख्या 70 पर इन्तकाल संख्या 166 दिनांक 23.06.1989 पर दर्ज रेकार्ड है। उसके बाद तथा पेमाईश के बाद जो रोटेशन कायम हुए उसमें प्रार्थीगण के पिताजी का नाम मांगु के स्थान पर भागु सहवन से हो गया। जिसका विरासतन इन्तकाल प्रार्थी के साथ संयुक्त रूप से खोला गया था। जिसमें प्रार्थीगण अपने पिता का नाम सहवन से भागु गुर्जर के स्थान पर मांगु गुर्जर अंकित राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी में के वर्तमान रोटेशन में दुरूस्त करना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:13:34 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरथल पटवार हल्का टाई की नवीन खाता संख्या 52 की आराजी नम्बर 362/466, 369, 370, 372, 442, 442/463 कुल किता –6 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम भागु के बजाय मांगु राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें ।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीगण ग्राम सरथल पटवार हल्का टाई की नवीन खाता संख्या 52 की आराजी नम्बर 362/466, 369, 370, 372, 442, 442/463 कुल किता –6 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण अपने पिता का नाम भागु के बजाय मांगु राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना चाहते है। प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के सर्मथन में ग्राम सरथल पटवार हल्का टाई की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 52 की आराजी आराजी नम्बर 362/466, 369, 370, 372, 442, 442/463 कुल किता –6 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर भूमि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। गाम सरथल की जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 की प्रमाणित प्रति, ग्राम सरथल की नामान्तरकरण संख्या 154 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति, ग्राम पंचायत टाई का द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, प्रार्थीगण गोरीलाल एवं बाबुलाल का आधार कार्ड, प्रार्थी बाबुलाल का ड्राईविंग लाईसेन्स एवं परिवार राशन कार्ड की फोटोप्रतियां पेश की है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:13:54 IST
Reason: SelfAttested

7. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों,

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम सरथल पटवार हल्का टाई की नामान्तरकरण संख्या 145 एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2045–2048 की खाता संख्या 70 में प्रार्थीगण के पिता नाम मांगु दर्ज था लेकिन सहवन से वाद के रोटेशन जमाबनदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगु की जगह भागु दर्ज हो जाने से वर्तमान जमाबन्दी सवत् 2077–2080 की खाता संख्या 52 की आराजी आराजी नम्बर 362/466, 369, 370, 372, 442, 442/463 कुल किता –6 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर भूमि में भी प्रार्थीगण के पिता का नाम भागु दर्ज हो गया है। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत, टाई का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगु होना सही बताया है। प्रार्थीगण गोरीलाल, बाबुलाल के आधार कार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगु अंकित है। प्रार्थी नं0 1 बाबुलाल के ड्राईविंग लाईसेन्स में प्रार्थी के पिता का नाम मांगीलाल अंकित है। प्रार्थीगण भी ग्राम सरथल पटवार हल्का टाई की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 52 की आराजी नम्बर 362/466, 369, 370, 372, 442, 442/463 कुल किता –6 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर भूमि में अपने पिता नाम भागु के बजाय मांग दर्ज कराना चाहते है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ग्राम सरथल पटवार हल्का टाई की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 52 की आराजी नम्बर 362/466, 369, 370, 372, 442, 442/463 कुल किता –6 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण बाबुलाल, गोरीलाल के पिता नाम भागु के बजाय मांगु दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से साबित होने से स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से साबित होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सरथल पटवार हल्का टाई की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 52 की आराजी नम्बर 362/466, 369, 370, 372, 442, 442/463 कुल किता –6 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण बाबुलाल एवं गोरीलाल के पिता का नाम भागु के बजाय मांगु दर्ज किया जावे। शेष बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:13:34 IST
Reason: SelfAttested